न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–428/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00397)

1. श्रीमती कविता तोषनीवाल धर्मपत्नी श्री प्रमोद तोषनीवाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम मेन्दवास, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासी बी–50, देवनगर, टोंक रोड़, जयपुर।
2. श्रीमती गीता तोषनीवाल धर्मपत्नी श्री भगवान सहाय तोषनीवाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम मेन्दवास तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासी बी 50, देवनगर, टोंक रोड़, जयपुर।

—–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती फूलादेवी धर्मपत्नी श्री कानाराम, जाति जाट, निवासी मुण्ड की ढाणी नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रामफूल तिवाड़ी पुत्र श्री रूपनारायण तिवाड़ी, जाति बारागांव ब्राहाम्ण निवासी ग्राम सोडा बावड़ी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।
3. गोपाल पुत्र श्रवण, जाति स्वामी, निवासी कस्बा फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. हीरालाल चिन्दोला पुत्र श्री चिरंजीलाल चिन्दोला, जाति बारागांव ब्राहाम्ण, निवासी कस्बा फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. मुकेश पुत्र श्री मूलचन्द, जाति बारागांव ब्राहाम्ण, निवासी कस्बा फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. हंसराज चौधरी पुत्र श्री रामधन चौधरी, जाति जाट निवासी ग्राम कास्या, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।

—–रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 25.03.2019

अपीलार्थीगण द्वारा उक्तं अपील न्यायालय अतिरिक्तत जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के आदेश दिनांक 25.09.2017 (अपील संख्या 45/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण ग्राम मेन्दवास तहसील फागी जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1711/1 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 1710/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा की खातेदार काबिज काश्तकार है, राजस्व भू अभिलेखों में अपीलार्थीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है, अपीलार्थीगण की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि के सीमाजोड दक्षिण की

के दूसरी ओर सीमाजोड़ खसरा नम्बर 1738 की भूमि रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा स्थित है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना खसरा नम्बर 1738 की तथाकथित सीमाज्ञान की कार्यवाही से भूमि विवादग्रस्त पर अपीलार्थीगण के अधिकार गंभीर रूप से विपरित प्रभावित होते है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुए कि अपीलार्थीगण चूँकि भूमि खसरा नम्बर 1738 के सहकृषक नही है और उक्त भूमि के सीमाजोड़ अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि नही है, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विवाद के वास्तविक मुद्दे, तथ्यों एवं कानून के विपरित होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि निश्चित बिन्दुओं से सीमाज्ञान की कार्यवाही किये जाने हेतु नाप प्रारम्भ करने के अलावा अनिश्चित बिन्दुओं से किसी भी प्रकार की कोई सीमाज्ञान की कार्यवाही नही की जा सकती है, तहसीलदार फागी के आदेश दिनांक 27.06.2016 के आधार पर दिनांक 28.06.2016 को जो तथाकथित सीमाज्ञान की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई उसके पठन मात्र से ही उक्त स्थिति संदेह से बाहर स्पष्ट हो जाती है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अवैध कार्यवाही को निरस्त किये जाने के स्थान पर बहाल रखे जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि किसी भी भूमि का सीमाज्ञान किये जाने से पूर्व उक्त भूमि के सभी पड़ौसी काश्तकारान को जनके अधिकार उक्त भूमि के सीमाज्ञान की कार्यवाही किये जाने से विपरित प्रभावित होने की संभावना हो सकती हो, उन्हे नोटिस एवं सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक होता है, प्रस्तुत प्रकरण में भूमि खसरा नम्बर 1738 की अस्पष्ट सीमाज्ञान किये जाने की कार्यवाही से अपीलार्थीगण के अधिकार गंभीर रूप से विपरित प्रभावित होते है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हे पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किये गये है, जो आदेश को बहाल रखे जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अपनी खातेदारी की आराजी का सीमाज्ञान कराये जाने हेतु आवेदन किया है तथा पटवारी हल्का ने स्पष्ट रिपोर्ट की है कि आराजी खसरा नम्बर 1738 फूला देवी के नाम दर्ज है और किसी न्यायालय का स्थगन नही है, सेटलमेन्ट नक्शें की उपलब्ध प्रमाणित छाया प्रति से सीमाज्ञान किया जा सकता है इसके पश्चात् राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत राजस्व शिविर में सीमाज्ञान कराये जाने हेतु तहसीलदार फागी ने आदेश दिये है और मुस्तकिल मुकाम विभिन्न बिन्दुओं से जरीब चलाकर कायम कर सीमाज्ञान कराया गया है, फर्द मौका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का व गिरदावर सर्किल मेन्दवास के व खातेदार

1738 की खातेदार फूलादेवी होने एवं सटवा गैर–मुमकिन रास्ते की आराजी होने से किसी अन्य को सूचना दिये जाने की कानूनन कोई आवश्यकता नही थी अर्थात आराजी खसरा नम्बर 1738 के अपीलान्ट सहखातेदार नही थे और उनका इस आराजी में कोई हित भी निहित नही था इसलिये अपीलान्ट को नोटिस दिये जाने की तहसीलदर व राजस्व कारकूनान ने कानूनन कोई आवश्यकता नही होने से नोटिस नही दिया गया, तहसीलदार ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में मजमेआम में सीमाज्ञान का आदेश दिया है और रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति मे सीमाज्ञान हुआ है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की आराजी अपीलान्ट्स की आराजी के सटवा नही है और न ही सीमाज्ञान से अथवा सीमाज्ञान आदेश से अपीलान्ट्स पीड़ित है, सीमाज्ञान कराये जाने में किसी भी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नही है फिर अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 को अनावश्यक हैरान व परेशान करने की गरज से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 1738 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा की खातेदार फूलादेवी के दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त आराजी के सीमाज्ञान हेतु फूलादेवी द्वारा तहसीलदार फागी के समक्ष आवेदन किया गया है एवं उक्त आराजी के सीमाज्ञान पर एतराज करने के ठोस आधार अपीलान्ट के पास नही है। ऐसी स्थिति में फर्द सीमाज्ञान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही रहा है। यदि अपीलान्ट अपनी आराजी का भी सीमाज्ञान कराना चाहे तो इसके लिये वह स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2017 को अनुचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।